स्व–वित्त पोषित एवं शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत प्राध्यापकों की कक्षा–शिक्षण के प्रति जवाबदेही का तुलनात्मक अध्ययन

डा. धर्मेन्द्र कुमार
असि. प्रोफेसर
अध्यापक शिक्षा विभाग
वर्द्धमान कॉलेज, बिजनौर

1. प्रस्तावना

प्रत्येक समाज यह चाहता है कि उसके नागरिकों का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक नैतिक तथा आर्थिक विकास हो वे उन्नति के रूप में आगे बढ़े। नागरिकों का विकास शिक्षा पर आधारित है। अतः प्रत्येक समाज अपने नागरिकों के लिए शिक्षा की श्रेष्ठतम व्यवस्था करता है, वह विद्यालयों की व्यवस्था करता है, श्रेष्ठ शिक्षकों की नियुक्ति करता है तथा शिक्षकों से आशा करता है कि वे बालकों का सर्वांगीण विकास करेंगे।

जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में चाहे वह व्यक्तिगत जीवन हो, सामाजिक हो या राजनीतिक हम सबके कुछ उत्तरदायित्व है, उत्तरदायित्व निभाने के लिए हमें किसी न किसी रूप में कुछ परिश्रामिक मिलता है, दूसरे शब्दों में जो पारिश्रमिक मिलता है, उसके बदलें में हमारे कुछ दायित्व है, इन दायित्वों को निभाना हमारा कर्तव्य बन जाता है, हम किस प्रकार से इसे निभाते है, उसके लिए हम किसी न किसी को अपने द्वारा किये गये कार्य का लेखा–जोखा देते है। हम एक प्रकार से बन्धन में कार्य करते है। यह बन्धन किस मात्रा में तथा किस सीमा तक निभाते है, यही हमारी जवाबदेही है।

जवाबदेही की समस्या बड़ी जटिल, कठिन तथा संवेदनशील है साथ ही उतनी ही महत्वपूर्ण है। जवाबदेही के अभाव में अराजकता की सम्भावना बनी रहती है। जीवन का कोई क्षेत्र अथवा कार्य ऐसा नहीं दिखाई देता जहां पर पूरी जवाबदेही हो। विद्यालयी शिक्षा भी इससे बच नहीं पाती है। प्राचीन काल में शिक्षक का स्थान सर्वोपरि था परन्तु समय बीतने के साथ–साथ शिक्षक की गरिमा क्षीण हुई है। आज समाज शिक्षकों से यह अपेक्षा करता है कि वे अपने कार्य को पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ निभाये और अपनी जवाबदेही समझें शिक्षकों की जवाबदेही से अभिप्राय है कि शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व समझकर पूरा करें। दूसरे शब्दों में शिक्षक की जवाबदेही से तात्पर्य वह दिये गये कार्यों को पूर्ण करता है या नहीं जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार है।

वर्तमान में देखा जा रहा है कि महाविद्यालयी शिक्षा के स्तर में गिरावट का दौर जारी है। छात्र उपस्थिति दिन–प्रतिदिन घटती जा रही है, परीक्षा पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि वर्तमान में महाविद्यालयी शिक्षा में अराजकता की स्थिति सी बन गयी है। इसका एक कारण प्राध्यापकों का अपनी जवाबदेही को न समझ पाना भी है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत अध्ययन में स्व–वित्त पोषित एवं शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत प्राध्यापकों की कक्षा–शिक्षण के प्रति जवाबदेही का तुलनात्मक अध्ययन किया जायेगा।

2. अध्ययन के उददेश्य

प्रस्तुत अध्ययन के उददेश्य निम्नलिखित है–

1. स्व–वित्तपोषित एवं शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत प्राध्यापकों की कक्षा–शिक्षण के प्रति जवाबदेही का तुलनात्मक अध्ययन करना।
2. स्व–वित्त पोषित महाविद्यालयों में कार्यरत प्राध्यापकों की लिंग–भेद के परिप्रेक्ष्य में कक्षा–शिक्षण के प्रति जवाबदेही का तुलनात्मक अध्ययन करना।
3. शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत प्राध्यापकों की लिंग–भेद के परिप्रेक्ष्य में कक्षा शिक्षण के प्रति जवाबदेही का तुलनात्मक अध्ययन करना।
4. ग्रामीण एवं शहरी, स्व–वित्त पोषित महाविद्यालयों में कार्यरत प्राध्यापकों की कक्षा–शिक्षण के प्रति जवाबदेही का तुलनात्मक अध्ययन करना।
5. ग्रामीण एवं शहरी, शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत प्राध्यापकों की कक्षा–शिक्षण के प्रति जवाबदेही का तुलनात्मक अध्ययन करना।

3. अध्ययन की परिकल्पनाएं

प्रस्तुत अध्ययन की परिकल्पनाएं निम्नलिखित है–

1. स्व–वित्त पोषित एवं शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत प्राध्यापकों की कक्षा शिक्षण के प्रति जवाबदेही में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
2. स्व–वित्त पोषित महाविद्यालयों में कार्यरत प्राध्यपकों की लिंग भेद के परिप्रेक्ष्य में कक्षा–शिक्षण के प्रति जवाबदेही में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
3. शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत प्राध्यापकों की लिंग– भेद के परिप्रेक्ष्य में कक्षा–शिक्षण के प्रति जवाबदेही में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
4. ग्रामीण एवं शहरी, स्व–वित्त पोषित महाविद्यालयों में कार्यरत प्राध्यापकों की कक्षा–शिक्षण के प्रति जवाबदेही में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
5. ग्रामीण एवं शहरी शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत प्राध्यापकों की कक्षा–शिक्षण के प्रति जवाबदेही में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

4. अध्ययन का सीमांकन

प्रस्तुत अध्ययन को जनपद बिजनौर में स्थित ग्रामीण एवं शहरी महाविद्यालयों में कार्यरत प्राध्यापकों तक ही सीमित रखा गया है।

5.शोध विधि

प्रस्तुत अध्ययन में वर्णनात्मक सर्वेक्षण शोध विधि को प्रयोग में लाया गया है।

6. न्यादर्श

प्रस्तुत अध्ययन के लिए बिजनौर जनपद में स्थित ग्रामीण एवं शहरी स्ववित्त पोषित एवं शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों से 140 प्राध्यापकों का चयन किया गया, जिसमें 70 प्राध्यापक स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों के तथा 70 प्राध्यापक शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों से थे। प्रत्येक प्रकार के महाविद्यालयों में शहरी एवं ग्रामीण प्राध्यापकों की संख्या 35–35 तथा पुरूष एवं महिला प्राध्यापकों की संख्या 35–35 थी।

7. शोध उपकरण

प्रदत्तों के संकलन हेतु शोधकर्ता ने स्वयं शिक्षक जवाबदेही मापनी का निर्माण किया है। इस मापनी में प्रारम्भ में 80 पदों को शामिल किया गया, जिसमें प्रत्येक पद के चार विकल्प थें इसे प्रारम्भिक जांच हेतु 150 प्राध्यापकों पर प्रशासित किया गया। पद विश्लेषण के पश्चात अन्तिम रूप से 50 पदों को मापनी में शामिल कर अध्ययन में प्रयुक्त किया गया।

8. आंकड़ों का विश्लेषण एवं अर्थापन

परीक्षण के उपरान्त संग्रहित आंकड़ों का सांख्यिकीय गणना के आधार पर विश्लेषण एवं अर्थापन किया गया। आंकड़ों को सारणीयन में व्यवस्थित करने के उपरान्त परिणाम प्राप्त किये गये–

तालिका 1 स्व–वित्त पोषित एवं शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के प्राध्यापकों की कक्षा–शिक्षण के प्रति जवाबदेही

महाविद्यालय के प्राध्यापक	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	टी–मूल्य
स्व–वित्त पोषित महाविद्यालयों के प्राध्यापक	70	128.56	12.9	5.04*
शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय के प्राध्यापक	70	142.12	18.40	

* 0.01 विश्वसनीयता स्तर पर सार्थक

उपर्युक्त तालिका संख्या–1 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि स्ववित्त पोषित एवं शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के प्राध्यापकों की कक्षा–शिक्षणके प्रति जवाबदेही के मध्य टी–मूल्य का मान 5.04 है, जो 0.01 के विश्वसनीयता स्तर पर सार्थक है। अतः परिकल्पना संख्या–1 ''स्व–वित्त पोषित एवं शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत प्राध्यापकों की कक्षा–शिक्षण के प्रति जवाबदेही में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।'' अस्वीकृत की जाती है।

तालिका 2 स्व–वित्त पोषित महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की लिंग–भेद के परिप्रेक्ष्य में कक्षा–शिक्षण के प्रति जवाबदेही

महाविद्यालय की प्रकृति	लिंग	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	टी–मूल्य
स्व–वित्त पोषित महाविद्यालय	पुरूष	35	128.3	12.25	1.04*
	महिला	35	131.59	14.10	

* असार्थक

उपर्युक्त तालिका संख्या–2 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि स्व–वित्त पोषित महाविद्यालयों में कार्यरत प्राध्यापकों की लिंग–भेद के परिप्रेक्ष्य में कक्षा–शिक्षण के प्रति जवाबदेही में कोई सार्थक अन्तर नहीं है। अतः परिकल्पना संख्या–2 ''स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों में कार्यरत प्राध्यापकों की लिंग–भेद के परिप्रेक्ष्य में कक्षा– शिक्षण के प्रति जवाबदेही में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।'' स्वीकृत की जाती है।

तालिका संख्या 3 शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत प्राध्यापकों की लिंग–भेद के परिप्रेक्ष्य में कक्षा–शिक्षण के प्रति जवाबदेही

महाविद्यालय की प्रकृति	लिंग	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	टी–मूल्य
शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय	पुरूष	35	116.35	17.95	0.52*
	महिला	35	118.44	15.56	

* असार्थक

उपर्युक्त तालिका संख्या–3 के अवलोकन से पता चलता है कि शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के प्राध्यापकों की लिंग–भेद के परिप्रेक्ष्य में कक्षा– शिक्षण के प्रति जवाबदेही में सार्थक अन्तर नहीं है। अतः परिकल्पना संख्या–3 'शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत प्राध्यापकों की लिंग–भेद के परिप्रेक्ष्य में कक्षा–शिक्षण के प्रति जवाबदेही में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।' स्वीकृत की जाती है।

तालिका संख्या 4ग्रामीण एवं शहरी स्व–वित्त पोषित महाविद्यालयों के प्राध्यापकों की कक्षा– शिक्षण के प्रति जवाबदेही

महाविद्यालय की प्रकृति	लिंग	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	टी–मूल्य
स्व–वित्त पोषित महाविद्यालय	ग्रामीण	35	131.35	13.82	1.63*
	शहरी	35	136.92	14.75	

* असार्थक

उपर्युक्त तालिका संख्या–4 के अवलोकन से पता चलता है कि ग्रामीण एवं शहरी स्व–वित्त पोषित महाविद्यालयों के प्राध्यापकों की कक्षा–शिक्षण के प्रति जवाबदेही में कोई सार्थक अन्तर नहीं है। अतः परिकल्पना संख्या–4' ग्रामीण एवं शहरी, स्व–वित्त पोषित महाविद्यालयों में कार्यरत प्राध्यापकों की कक्षा–शिक्षण के प्रति जवाबदेही में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।'' स्वीकृत की जाती है।

तालिका संख्या 5 ग्रामीण एवं शहरी शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के प्राध्यापकों की कक्षा–शिक्षण के प्रति जवाबदेही

महाविद्यालय की प्रकृति	लिंग	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	टी–मूल्य
शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय	ग्रामीण	35	116.32	14.97	2.67*
	शहरी	35	125.66	14.34	

* 0.05 विश्वसनीयता स्तर पर सार्थक

उपर्युक्त तालिका संख्या–5 के अवलोकन से ज्ञात है कि ग्रामीण एवं शहरी शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत प्राध्यापकों की कक्षा–शिक्षण के प्रति जवाबदेही के मध्य टी–मूल्य का मान 2.67 है जो कि 0.05 के विश्वसनीयता स्तर पर सार्थक है। अतः परिकल्पना संख्या–5 ''ग्रामीण एवं शहरी शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत प्राध्यापकों की कक्षा शिक्षण के प्रति जवाबदेही में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।'' अस्वीकृत की जाती हे।

9. निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन से निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुए

1. स्व–वित्त पोषित महाविद्यालयों के प्राध्यापकों में शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के प्राध्यापकों की अपेक्षा कक्षा–शिक्षण के प्रति जवाबदेही उच्च स्तरीय होती है।
2. स्व–वित्त पोषित महाविद्यालयों के प्राध्यापकों की कक्षा–शिक्षण के प्रति जवाबदेही पर लिंग–भेद का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
3. शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के प्राध्यापकों की कक्षा–शिक्षण के प्रति जवाबदेही पर लिंग–भेंद का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
4. ग्रामीण एवं शहरी स्व–वित्त पोषत महाविद्यालयों के प्राध्यापकों में कक्षा–शिक्षण के प्रति जवाबदेही का स्तर एक समान होता है।
5. ग्रामीण एवं शहरी शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के प्राध्यापकों की कक्षा–शिक्षण के प्रति जवाबदेही में सार्थक अन्तर होता है। ग्रामीण शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के प्राध्यापकों की अपेक्षा शहरी शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के प्राध्यापकों की कक्षा–शिक्षण के प्रति जवाबदेही का स्तर अधिक होता है।

10. अध्ययन की उपादेयता

प्रस्तुत अध्ययन द्वारा प्राप्त परिणाम प्राध्यापकों की कक्षा–शिक्षण के प्रति जवाबदेही बढ़ाने में शिक्षा अधिकारियों, समाज, अभिभावकों, प्राचार्यों एवं स्वयं प्राध्यापकों के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते है। प्रस्तुत अध्ययन में देखने में आ रहा है कि शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के प्राध्यापकों में जवाबदेही का स्तर निम्न होता है, इसका एक कारण प्रबन्ध तन्त्र का उनके ऊपर दबाव नहीं रहना हो सकता है। इसके लिए चाहिए कि प्राध्यापकों को समय–समय पर परामर्श दे जिससे वे शिक्षण कार्य के प्रति समर्पित हो सके तथा स्वयं के प्रति भी जवाबदेह बने।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. चोपड़ा, एण्ड गारटीया (2009). ''एकाउन्टेबिलिटी ऑफ सैकण्डरी स्कूल टीचर्स इन रिलेशन टू देयर आक्यूपैशनल स्टैटस'', एजूटैक्स वोल्यूम 8 नं. 7
2. घोष, ए.के. (2001). ''टीचर्स एकाउन्टेबिलिटी'' यूनिवर्सिटी न्यूज, मार्च 2001
3. घोर, टी.एन. (1998). ''एकाउन्टेबिलिटी इन टीचरएजुकेशन'' जनरल ऑफ टीचर एजुकेशन, एन.सी.टी.ई., नई दिल्ली, वोल्यूम–1 नं.1
4. जोशी, रजनी (1991). ''कन्सेप्चयुव अन्डरस्टैडिंग ऑफ प्रोफेशनल एकाउन्टेबिलिटी ऑफ टीचर्स एजुकेटर्स, एम0फिल डिजरटेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली
5. मौहम्म,के.डी.(2002). ''टीचर्स एकाउन्टेबिलिटी'' जनरल ऑफ ऑल इण्डिया एसोसिएशन ऑफ एजुकेशन रिसर्च'' वोल्यूम–2 नं. 2